तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
11.06.2024	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उपस्थित। प्रार्थीगण की ओर से वकील ने राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण वकील का निवेदन है कि उक्त राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए में मौका रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। मौका रिपोर्ट अनुसार जहां आवगमन हेतु रास्ता प्रस्तावित है। वहां पर विप्रार्थीगण कब्जा/निर्माण कर प्रस्तावित रास्ते का अवरूद्ध कर रहे है। पक्षकारान वकीलों की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के सम्बन्ध में अंकित तथ्यों को दौराते हुए निवेदन किया कि अगर मौका रिपोर्ट में प्रस्तातिव रास्ते का विप्रार्थीगण अवरूद्ध कर लेते है तो इस प्रकरण का कोई औचित्य नही रहेगा। विप्रार्थीगण वकील ने अपने बहस में कहा कि प्रस्तावित रास्ते पर कोई निर्माण/कब्जा नही हो रहा है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एवं पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. का.अधिनियम वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है, कि राजस्व ग्राम सियागों की बेरी के खसरा नम्बर 40/2 एवं राजस्व ग्राम गोदारों की बेरी के खसरा नम्बर 562/146 में प्रस्तुत आवेदन में प्राप्त मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते पर विप्रार्थी संख्या 01 से 07 एव विप्रार्थी संख्या 11 किसी प्रकार का निर्माण/कब्जा नही करे। मूल आवेदन संख्या 82/2021 अनवान किसनाराम बनाम हरूराम वगैराह के अन्तिम निर्णय तक किसी प्रकार का निर्माण/कब्जा नही करे। स्थगन आदेश को कन्फर्म किया जाता है। स्थगत आदेश मूल निर्णय के अधीन रहेगा। पत्रावली एक नम्बर से कम हो, पत्रावली पे[illegible]र होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:46:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना